

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 28 फरवरी, 2022

विषय कोविड-19 के New Variant 'Omicron' के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-6/2020-DM-4(A) दिनांक 25 फरवरी, 2022 (संलग्नक-1) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश संख्या-Z.26015/1/2022-DMCell दिनांक 18 फरवरी, 2022 (संलग्नक-2) का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 994/USDMA/792 (2020) TC-2, दिनांक 16 फरवरी, 2022 में वर्तमान में राज्य में कोविड संक्रमण की दरों में कमी होने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त बिन्दु संख्या-3, 6 एवं 12 में निम्नलिखित संशोधन किया जा रहा है:-

1. राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
2. राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 10 मार्च, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
3. राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 01 मार्च, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे एवं आदेश संख्या: 994/USDMA/792 (2020) TC-2, दिनांक 16 फरवरी, 2022 को शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

संलग्नक:-सघोक्त।

भवदीया,

(राधा ए.डी. एस.)
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मात्रिपरिषद्), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(शैलेश कुमार)
सचिव